

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

—:: परिपत्र ::—

क्रमांक: 16 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 05 सितम्बर, 2020

**विषय :-** कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण न्यायालय में सीमित कार्य व्यवस्था (Limited Functioning) में समयावृद्धि बाबत।


**संदर्भ :-** माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का परिपत्र क्रमांक सी/2144. जबलपुर, दिनांक 29.08.2020 के पालन में।

.....000.....

संदर्भित परिपत्र के पालन में जिला न्यायालय खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा जिला खण्डवा में न्यायालयीन कार्य के संचालन हेतु पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से जारी सभी दिशा-निर्देश, परिपत्र और उसके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जारी सुसंगत परिपत्रों की निरंतरता में आदेशित किया जाता है कि सीमित कार्य व्यवस्था (Limited Functioning) की अवधि दिनांक 07.09.2020 से दिनांक 12.09.2020 तक यथावत लागू रहेगी। जिस रीति व प्रकार से और जिस समयावधि में न्यायालयों द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा था; उसी रीति व प्रकार से आगे दिनांक 12.09.2020 तक भी निष्पादित किया जावेगा।

न्यायालयीन कार्य के सहज व सुचारू ढंग से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार दिन-प्रतिदिन उक्त समयावधि के दौरान सुनवाई योग्य सिविल/दाण्डिक मामलों की ही सुनवाई का समय संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र



(एल0डी0 बौरासी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांक 1246 / को.वा. / 2020

खंडवा, दिनांक 05 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष न्यायाधीश / परिवार न्यायालय / प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1 खण्डवा / हरसूद / पुनासा, प्रथम / तृतीय / चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2- कलेक्टर, जिला खण्डवा,
- 3- पुलिस अधीक्षक जिला खण्डवा,
- 4- अध्यक्ष, कम्प्यूटर समिति / समस्त अनुभाग प्रभारी जिला न्यायालय खण्डवा / सिविल न्यायालय तहसील हरसूद / पुनासा,
- 5- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा / हरसूद / पुनासा,
- 6- प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा।
- 7- सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम खण्डवा / सिस्टम असिस्टेंट,
- 8- प्रशासनिक / उप-प्रशासनिक अधिकारी / समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा / सिविल न्यायालय हरसूद / पुनासा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अपूर्व निमाड़, खण्डवा (म0प्र0)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. C/2144/

Jabalpur, dated 05/09/2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the Subordinate Courts including Family Courts in State of M.P. as follows:-

In continuation of Circular No. C/2086, dated 29.08.2020, the limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No. Q-12 dated 4<sup>th</sup> May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court is hereby extended from 7<sup>th</sup> September, 2020 till 11<sup>th</sup> September, 2020 for the High Court and from 7<sup>th</sup> September, 2020 till 12<sup>th</sup> September for Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P.

By order of Hon'ble the Chief Justice

  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL